

Schedule XXI-Form No. 87
(H)

15N32182

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY

Serial number of application.....

4462

Date of application.....

28.5.18

Name of applicant.....

S. B. Shinde

Fees Paid.....

Rs. 100/-

Stamp Paper for.....

Date of deposit.....

Registering Officer

अनुवर्त २१-पाठ ११३

संपत्ति अधभार प्रमाण-पत्र

YH91-77 41801 646110111
 श्री 01 ... Stehmiits R9h0d4g ... अर्धत 110 ...
 495410218

मेरी माता आयेन दिवा है कि मिनीमिहा संधि के सको में मिनीमिहा संजवाही और अचमारी का मिनीमिहा प्रमाण-पत्र दिया जाये। (अचमन में दिने जाये तथा के अचमन मिनीमिहा मे)

[illegible]

वर्गा है और
 2. *Explain*
 3. *Explain to Bar*

क्र. सं.	(क) संवि. का विवरण	पिंपरी का तहसील	(ख) रस्तावेज का प्रकार और पृष्ठ	पृष्ठों का गुण			रस्तावेज की प्रतिलिपि को प्र. वि. में		
				पिंपरी	रस्तावेज	लिपि	वर्ग	पृष्ठ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Mans - Thosara - Kastari - Plot - Thosara - Abar -	Doodh Chakradhar 21 238 & 280 1690 (R) & 1691 5400 42768.62 sq.ft.							

Arpan Buildtech Private Limited
Arpan Buildtech Private Limited
 Director

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की विरासत काज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशतों की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दरा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
में यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधार का पता नहीं मिला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *अनिल कुमार*

(परनाम): *अनिल*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *अनिल कुमार*

(परनाम): *अनिल*

कार्यालय: *Danapur*

तारीख: *29/5/18*



मुहर एवं निबंधन प्रमाणिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण में भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्वेन्टरी) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-48 के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिनमें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर चर्चियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रख दी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामला में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिये विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की त्रुटि के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उसका मामला पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय निम्न निबंधन: *Danapur*

तलास सख्त: *4604*

आवेदक के: *Sushmita Behra*

का अवधार प्रमाण-पत्र: *29/5/18*

का उक्त पत्र सख्त: *29/5/18*

दिनांक: *29/5/18*

निबंधन: *Devi Prasad*

के प्रसंग में अप्रत्यक्ष को जारी है।

निबंधन: *29/5/18*
Danapur